भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4538
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों द्वारा सीएसआर वित्तपोषण

4538. श्री आनंद भदौरिया:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कम्पनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के वित्तपोषण का कम्पनीवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कम्पनियों द्वारा सीएसआर निधि प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं का कम्पनीवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कम्पनियों से सीएसआर निधि के लिए प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए अपनाए गए मानदंडों का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान विद्युत कम्पनियों से सीएसआर निधि के प्राप्तकर्ताओं के चयन में रिपोर्ट की गई अनियमितताओं का कम्पनीवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) वित्तपोषण का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रूपये में)

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
एनटीपीसी लिमिटेड	304.90	418.80	356.70	315.30	425.70
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	346.21	240.48	271.14	321.66	330.48
पीएफसी लिमिटेड	121.30	216.34	130.88	178.58	215.39
आरईसी लिमिटेड	258.40	144.32	167.22	204.31	242.16
एनएचपीसी लिमिटेड	126.43	79.63	105.29	127.31	85.73
एसजेवीएन लिमिटेड	36.35	52.87	51.67	59.84	45.96
टीएचडीसीआईएल	21.62	23.11	27.21	23.61	34.47
नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)	12.37	7.28	5.46	5.19	7.63
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड	1.21	1.34	1.21	1.07	1.11
कुल	**1228.79**	**1184.17**	**1116.78**	**1236.87**	**1388.63**

(ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर वित्तपोषण प्राप्तकर्ताओं का ब्यौरा सीपीएसई की संबंधित वेबसाइट, यथा- https://ntpc.co.in, https://www.powergrid.in, https://www.pfcindia.com, https://recindia.nic.in, https://www.nhpcindia.com, https://sjvn.nic.in, https://www.thdc.co.in, https://neepco.co.in & https://posoco.in पर उपलब्ध है।

(ग) : सीपीएसई द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता और पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण उन्मुखी पहल, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों की देखभाल, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, पीएम केयर्स फंड में योगदान, अनुसंधान और विकास, शिक्षा संस्थानों में योगदान, आपदा प्रबंधन आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सीएसआर वित्तपोषण बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, संबंधित सीपीएसई की सीएसआर नीति, डीपीई दिशा-निर्देशों और इस संबंध में समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, अनुमोदन करने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर गतिविधियां सीपीएसई द्वारा स्वयं या केंद्र/राज्य सरकारों की एजेंसियों/विभागों के माध्यम से निष्पादित की जाती हैं।

(घ) : विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर वित्तपोषण के प्राप्तकर्ताओं के चयन में कोई अनियमितता की सूचना नहीं है। हालांकि, सीएसआर कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों, यदि कोई हो, को उस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन/कार्य आदेश आदि की शर्तों और नियमों के संदर्भ में मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से मौजूदा नियमों/नीतियों/दिशानिर्देशों के अनुसार निस्तारित किया जाता है।

****